

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आ0 सं0-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-11/2017..... 330 पटना, दिनांक- 21/12/17

कार्यालय आदेश

संवेदक, श्री अशोक कुमार, ग्राम-डहरिया गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल, जिला-कटिहार, निबंधन संख्या-द्वितीय(व्यक्तिगत)-71(भवन)/2014 द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद प्रखंड में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-08.09.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य की निविदा के निष्पादन के क्रम में वित्तीय बीड की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विषयांकित कार्य की निविदा के दो निविदाकारों यथा (i) श्री अशोक कुमार, ग्राम-डहरिया गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल, जिला-कटिहार तथा (ii) टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, कोलकाता द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मद में एक समान राशि उद्धृत किया गया है जो क्रमशः 4,60,99,884.60 (चार करोड़ साठ लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौरासी रू0 एवं साठ पैसे) एवं 6,06,050.00 (छः लाख छः हजार पचास रू0) है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों निविदाकारों द्वारा (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लिया गया। इस तरह समीक्षोपरान्त विभागीय निविदा समिति ने पाया कि दोनों निविदाकारों द्वारा निविदा की गोपनीयता को भंग किया गया है।

दिनांक-08.09.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त संवेदकों के विरुद्ध निविदा की गोपनीयता को भंग करने/समूह (Cartel) बनाकर निविदा डालने के आरोप में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका-11(क) के उप कंडिका (X) के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संबंधित निविदाकारों से विभागीय पत्रांक-9210(भ)अनु0, दिनांक-12.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसका जवाब अप्राप्त होने के कारण अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-06.11.2017 को कालीकृत/निलंबन के संबंध में हुई बैठक में अगले बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-20.12.2017 को पुनः कालीकृत/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देने एवं विभागीय निविदा समिति के कार्यवाही में लिए गये निर्णय के आलोक में संवेदक के निबंधन को एक साल के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, श्री अशोक कुमार, ग्राम-डहरिया गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल, जिला-कटिहार, के निबंधन संख्या-द्वितीय(व्यक्तिगत)-71(भवन)/2014 को पत्र निर्गत की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

—(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-11/2017..... 11517(8) पटना, दिनांक- 21/12/17
प्रतिलिपि:- संवेदक, श्री अशोक कुमार, ग्राम-डहरिया गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल, जिला-कटिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-11/2017..... 11517(8) पटना, दिनांक- 21/12/17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:- भवन-13 / अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन / कालीकृत-11 / 2017.....पटना, दिनांक:- 21/12/17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव